

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 919/2025

प्रार्थी
तहसीलदार बाड़मेर
ग्रामीण

बनाम

अप्रार्थीगण

पारुदेवी पत्नी श्यामनारायण जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
जुंजाराम पुत्र भूराराम दिनेश पुत्र पुनमाराम नवली पत्नी पुनमाराम पारुदेवी पत्नी श्यामनारायण मानाराम पुत्र पुरखा बालीदेवी पत्नी भूराराम स्वरूप पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
जैसाराम पुत्र लाधाराम शयमाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
कंवराराम डालूराम कानूदेवी पत्नी डालूराम जुंझाराम पुत्र भेराराम जोगाराम पुत्र कालू भोमाराम पुत्र डालूराम गुवरी पत्नी कालू हनुमानराम पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
भीखाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
ओमप्रकाश पुत्र लूम्बाराम कैलाश सियाग पुत्र राजेन्द्र कुमार कुषलाराम पुत्र लुम्बाराम खेजू पत्नी राजेन्द्र कुमार खूषबु चौधरी पुत्री राजेन्द्र कुमार गणपत चौधरी पुत्र राजेन्द्र कुमार चूनाराम पुत्र घमंडाराम दोलाराम पुत्र घमंडाराम प्रेमप्रकाश पुत्र लूम्बाराम पवन चौधरी पुत्र राजेन्द्र कुमार रमेश कुमार पुत्र घमंडाराम लक्ष्मीदेवी पत्नी लूम्बाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132,136

आदेश

दिनांक :- 10.03.2026

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 की पालना में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2025 को जारी परिपत्र के अनुसार रास्ता खालों अभियान की पालना में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नहीं है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से पत्रांक राजस्व/2025/1756 दिनांक 29.09.2025 द्वारा मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में ग्राम पंचायत सरली से जेताणियों की ढाणी तक निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है, जिसकी किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख एवं नक्शा का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि काशतकारों द्वारा रास्ते के रूप में उपभोग में ली जा रही है तथा वर्तमान में मौके पर रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

न रहा है, रास्ते पर सड़क मौके पर बनी हुई है तथा मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर में ग्राम पंचायत सरली से जेताणियों की ढाणी तक ग्रामीण डामर सड़क गुजरती है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। काश्तकारों द्वारा नोटिस पर काश्तकारों के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान अंकित है, तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा उक्त रास्ते को दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। जिस पर स्थाई रास्ता है, परन्तु उक्त स्थाई रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं हो पाया है, लिहाजा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 की पालना में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2025 को जारी परिपत्र के अनुसार रास्ता खालों अभियान के तहत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसील बाडमेर ग्रामीण के मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर में ग्राम पंचायत सरली से जेताणियों की ढाणी तक गुजरने वाली सड़क को रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है भूमि को तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता नियामनुसार दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावे:-

पटवार मण्डल - खुड़ासा

तहसील - बाडमेर ग्रामीण

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टि				
क. सं.	खसरा नम्बर	खसरा नम्बर	खसरा नम्बर	किस्म जमीन	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्ते में प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)	रास्ते की लम्बाई - (मीटर में)	रास्ते की चौड़ाई (मीटर में)	किस्म जमीन
1	8	10	11	12	13	7	8	10	11	12	13
1	2025 / 1539	1759/29.09.2025	जेताणियों की ढाणी	258/191	3.8850	बा.दो.	258/191	0.1618	202	8	गै.मु. रास्ता
2	2025 / 1539	1759/29.09.2025	जेताणियों की ढाणी	233/191	29.3478	बा.दो.	233/191	1.3216	1652	8	गै.मु. रास्ता
3	2025 / 1539	1759/29.09.2025	जेताणियों की ढाणी	243/173	10.8779	बा.दो.	243/173	0.148	185	8	गै.मु. रास्ता
4	2025 / 1539	1759/29.09.2025	जेताणियों की ढाणी	274/191	11.1774	बा.दो.	274/191	0.0688	86	8	गै.मु. रास्ता
5	2025 / 1539	1759/29.09.2025	जेताणियों की ढाणी	192	10.5947	बा.दो.	192	0.0960	120	8	गै.मु. रास्ता
6	2025 / 1539	1759/29.09.2025	जेताणियों की ढाणी	259/198	9.5668	बा.दो.	259/198	0.1296	162	8	गै.मु. रास्ता
6	2025 / 1539	1759/29.09.2025	जेताणियों की ढाणी	261/200	22.7919	बा.दो.	261/200	0.1872	234	8	गै.मु. रास्ता

नोट :- तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।

(यशोधर शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर